न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 198/2019

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड, अरबन को–ओपरेटिव बैंक से पंजीकृत के अधीन मल्टी स्टेट को–ओपरेटिव सोसायटी एक्ट एवं प्रधान कार्यालय आदर्श भवन, तीन बत्ती, पोस्ट बोक्स नम्बर 32, सिरोही–307001 (राजस्थान) शाखा कार्यालयः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0 कचहरी रोड, अजमेर–305001 राजस्थान के प्रतिनिधी श्री अजय टांक पुत्र श्री प्रेमचंद जी टांक, प्राधिकृत अधिकारी, आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0

.....**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) श्री पप्पुसिंह रावत पुत्र श्री लालसिंह रावत **(ऋणी)**
पताः– 600, तालाब के पास, रावतो का मकान, वार्ड नं0–13, खानपुरा, अजमेर–305001(राज0)

(2) श्री लालसिंह रावत पुत्र श्री मेवाराम रावत **(सहऋणी एवं रहनकर्ता)**
पताः– 600, तालाब के पास, रावतो का मकान, वार्ड नं0–13, खानपुरा, अजमेर–305001(राज0)

(3) श्री भवानी शंकर सिंह चौहान पुत्र श्री भंवरसिंह चौहान **(जमानती)**
पताः– 195, फॉय सागर, पनघट की बैरी के पास, खरेखडी, सीआरपीएफ, अजमेर–305001(राज0)
दुसरा पताः– केर ऑफ मैसर्स चौहान डेकोरेटर्स, फॉय सागर चौराहा, अजमेर–305001(राज0)

(4) श्री शंकरसिंह रावत पुत्र श्री रतन सिंह **(जमानती)**
पताः– 1280, प्रगति नगर, कोटडा, अजमेर–305001(राज0)

.....**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश **दिनांक 18.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 18.11.2014 को रू. 4,00,000/– (अक्षरे चार लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर खानपुरा, तहसील जिला अजमेर स्थित श्री लालसिंह रावत पुत्र श्री मेवाराम रावत के स्वामित्व की आवासीय सम्पति (भूमि एवं भवन) नं0 53/119 एवं 997/24, सेल डीड दिनांक 21.07.1982, पंजीकृत दिनांक 9.9.1982, जिसका क्षेत्रफल 400.00 वर्ग गज है। सम्पति की चतुर्दशीः–उत्तर मेंः–श्री कालु का मकान, दक्षिण मेः–मंदिर, पूर्व मेंः–श्री हरजी का मकान, पश्चिमः– श्री भेरू व श्री किशन मकान है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्पति को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.11.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 17.01.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–2,72,032/–(अक्षरे दो लाख बहत्तर हजार बत्तीस रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति खानपुरा, तहसील जिला अजमेर स्थित श्री लालसिंह रावत पुत्र श्री मेवाराम रावत के स्वामित्व की आवासीय सम्पति (भूमि एवं भवन) नं0 53/119 एवं 997/24, सेल डीड दिनांक 21.07.1982, पंजीकृत दिनांक 9.9.1982, जिसका क्षेत्रफल 400.00 वर्ग गज है। सम्पति की चतुर्दशीः–उत्तर मेंः–श्री कालु का मकान, दक्षिण मेः–मंदिर, पूर्व मेंः–श्री हरजी का मकान, पश्चिमः– श्री भेरू व श्री किशन मकान है। का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner